X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान एवं सांख्यिकी

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपाय अपनाते हुए इस वर्ष के दौरान अपने संचार प्रयासों को और भी सुदृढ़ किया है, इस वर्ष में वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) भी सफलता के साथ पूरा हुआ। रिज़र्व बैंक के अंदर और बाहर दोनों तरफ अनुसंधान और सांख्यिकी में सुधार करने और सरकारों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी रहे। सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडारों को व्यवस्थित और मार्गदर्शित किया गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष के दौरान अनेक वित्तीय कानून/बिल प्रस्तुत/संशोधित किए गए।

X.1 इस अध्याय में वर्ष 2017-18 के दौरान संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, अनुसंधान, सांख्यिकी, विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन, बैंकों और सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय कानूनों के क्षेत्रों में वार्षिक कार्ययोजना की गतिविधियों और कार्यान्वयन की स्थिति तथा वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित संबंधित कार्ययोजना पर चर्चा की गई है। वर्ष के दौरान संचार चैनलों को "मिंट स्ट्रीट मेमो" (एमएसएम), अर्थात समकालीन आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अनुसंधान आधारित ऑनलाइन प्रकाशन तथा लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम और उसके उपरांत 360 डिग्री अभियान चला कर सुदृढ़ किया गया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, एफएसएपी का सफल समन्वयन इस वर्ष की प्रमुख विशेषता रही।

X.2 वर्ष के दौरान, ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों को एकीकृत करने के अतिरिक्त बैंक के सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग खोले गए। वर्ष के दौरान, विभिन्न सांविधिक और महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी करने के अतिरिक्त मौद्रिक नीति अंतरण, फौरी पूर्वानुमान (नाउकास्टिंग), कृषि में क्रेडिट और कुशलता, ग्रामीण मजदूरी गतिकी, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक व्यय के समष्टि-आर्थिक प्रभावों के क्षेत्र में अध्ययन करके अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखा गया। जहां तक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध का संबंध है, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के समष्टि-आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार के अलावा स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) पर आधारित रोजगार सूचकांक तथा वेतन खाते से संबंधित आंकड़ों के विकास और मौद्रिक नीति से संबंधित सर्वेक्षण कराने में सुधार किए जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित अनेक कानून/बिलों में बहुत से संशोधन हुए/शुरुआत की गई।

संचार प्रक्रियाएं

X.3 रिज़र्व बैंक ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की समयबद्ध प्रतिक्रिया के लिए गतिशील संचार नीति रखने के अपने लक्ष्य को बनाए रखा है। संचार विभाग (डीओसी) जनता के साथ बैंक के दोतरफे संप्रेषण के लिए नोडल विभाग है, यह संप्रेषण अधिकतर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर की जाने वाली घोषणाओं, ई-मेल, भाषणों, लोक जागरूकता संदेशों तथा महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियों तथा परिपत्रों को ट्वीट करके किया जाता है। यह न केवल पारदर्शी, समयबद्ध और विश्वसनीय तरीके से विभिन्न हितधारकों को नीतिगत गतिविधियां और इनका औचित्य प्रसारित करता है, बल्कि नीतियों पर निरंतर फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वेबसाइट

X.4 अपनी वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) को अधिक उपयोगकर्ता सुगम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष बुनियादी विशेषताओं के साथ बैंक की वेबसाइट के मोबाइल एप्लिकेशन (एप) वर्शन की शुरुआत की थी। इसके बाद एप में संशोधन किया गया है और "अधिसूचनाओं", चयनित अलर्ट और सार्वजनिक जागरूकता संदेश जैसी और विशेषताएं जोड़ी गई हैं। यह एप जो प्ले स्टोर/एप स्टोर से एंड्रॉएड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, जून 2018 तक प्ले स्टोर से 1,54,423 बार डाउनलोड किया गया और एप स्टोर से 13,135 बार डाउनलोड किया गया। रिज़र्व बैंक के ट्वीटर खाते का विश्वभर में केंद्रीय बैंकों के फालोवर्स (3,47,000 फालोवर्स से अधिक) में 5वां स्थान है और इसके यूट्यूब चैनल के 30 जून 2018 तक 18,409 सब्सक्राइबर्स रहे हैं।

मौद्रिक नीति संप्रेषण

X.5 रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 में शुरू किए गए नए मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्पों को प्रेस प्रकाशनी और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संप्रेषित कर रहा है। मौद्रिक नीति पर द्वैमासिक वक्तव्य पर नीति के बाद गवर्नर की कॉन्फ्रेंस को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और बिजनेस टेलीविज़न चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों की ऑडियो और प्रतिलेखन (ट्रांस्क्रिप्ट्स) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त भी एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल में प्रावधान किया गया है।

मिंट स्ट्रीट मेमो

X.6 रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 से अपनी वेबसाइट पर "मिंट स्ट्रीट मेमोज़" (एमएसएम) के नाम से समकालीन आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ऑनलाइन प्रकाशनों की नई श्रृंखला शुरू की है। एमएसएम में वे दस्तावेज होते हैं जो संक्षिप्त रिपोर्टों और विश्लेषण के रूप में होते हैं तथा जिन्हें रिज़र्व बैंक के स्टाफ तथा उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल) द्वारा तैयार किया जाता है, या बैंक के किसी हाल के प्रकाशन में से लिया जाता है। एमएसएम में मुख्य तथ्यों, आंकड़ों और सारणियों के साथ श्रेय और पहचान सहित प्रासंगिक उद्धरण आते हैं। प्रयास यह रहता है कि केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित समकालीन विषय पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान ऐसे स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसे आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा समझना आसान हो। एमएसएम के प्रत्येक अंक को प्रेस प्रकाशनी के साथ एकल प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। शुरुआत से लेकर जून 2018 तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 12 एमएसएम प्रकाशित किए गए हैं (बॉक्स X.1)।

क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशाला

X.7 वर्ष के दौरान, संचार विभाग ने कोच्ची, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित की, इस प्रकार देश के विभिन्न भागों के मीडिया कर्मियों को कवर किया गया। इन कार्यशालाओं को मीडिया के महत्व वाले केंद्रीय बैंकिंग कार्यों पर चर्चापरक सत्रों के रूप में संरचित किया गया जिसका लक्ष्य यह था कि वे भविष्य में इन विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय कार्यात्मक क्षेत्रों और आंकड़ों के संदर्भ को समझने के लिए बेहतर ढ़ंग से सुसज्जित हो सकें। कार्यशाला में कवर किए गए विषयों के दायरे में मौद्रिक नीति, बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, ग्राहक शिक्षण और संरक्षण, मुद्रा प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणालियां, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की संरचना, भारतीय

बॉक्स X.1
मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम)

रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 से मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) नाम से एक नई संचार विंडो शुरू की है। एमएसएम के लिए लिंक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है तथा एमएसएम के लैंडिंग पेज पर नेविगेट करके दर्शक को दस्तावेज पर ले जाया जाता है, जो केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित समकालीन विषयों पर संक्षिप्त रिपोर्टों के रूप में होते हैं। एमएसएम में सामान्यतः अनुसंधान किए गए, समकालीन विषय पर संक्षिप्त लेख (राइट-अप) होता है जिसका योगदान रिज़र्व बैंक और कैफरल के स्टाफ द्वारा किया जाता है। एमएसएम में प्रस्तुत मुद्दे से संबंधित मुख्य तथ्यों, सारणियों और आंकड़ों के साथ प्रासंगिक उद्धरण दिए जाते हैं जो अध्ययन के महत्व को उजागर करते हैं। एकतरफा संप्रेषण होते हुए भी एमएसएम लेख प्रस्तुत विषय और इसके प्रासंगिक निष्कर्षों पर स्टाफ के विचारों की अधिक संरचित और व्यापक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। एमएसएम का रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के आगंतुकों और मीडिया द्वारा सही ढंग से स्वागत किया गया है। एमएसएम प्रकाशन निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं https://rbi.org.in/scripts/MSM_MintStreetMemos.aspx

अगस्त 2017 से जून 2018 तक प्रकाशित एमएसएम

एमएसएम सं.1: विमुद्रीकरण और बैंक जमा वृद्धि

एमएसएम सं.2: बचतों का गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं में वित्तीयकरण

एमएसएम सं.3: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 पर बाजार की प्रतिक्रिया

एमएसएम सं.4: कृषि ऋण बैंक खाते – ऋण माफी परिदृश्य का विश्लेषण

एमएसएम सं.5: कृषि ऋण माफी, राजकोषीय घाटा एवं मुद्रास्फीति

एमएसएम सं.6: बैंक से इतर निधीयन के स्रोत और भारतीय कंपनियां

एमएसएम सं.7: नकदी से नकदी रहित तथा चेक से डिजिटल: भारतीय भुगतान प्रणालियों में उभरती क्रांति

एमएसएम सं.8: राज्य सरकार के प्रतिफल में स्प्रेड – क्या राजकोषीय मैट्रिक्स असर डालते हैं?

एमएसएम सं.9: बैंकों की क्रेडिट गैर-मध्यस्थता – क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार परिपक्व हो गया है?

एमएसएम सं.10: कार्यशील पूंजी की चुनौतियां और निर्यातः जीएसटी रोलआउट से साक्ष्य

एमएसएम सं.11: सीपीआई मुद्रास्फीति पर आवास किराया भत्ता में वृद्धि का प्रभाव

एमएसएम सं.12: भारत में सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों में संशोधनों की जांच करना

अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई), विदेशी मुद्रा प्रबंधन, प्रेस प्रकाशनी और मीडिया संबंध तथा क्षेत्रीय मीडिया के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे शामिल थे। रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/विषय के विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का संचालन किया गया।

सार्वजनिक जागरूकता अभियान

X.8 वर्ष के दौरान संचार विभाग ने सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया। यह अभियान नवंबर 2017 में एसएमएस के माध्यम से शुरू हुआ जिसमें आम जनता को जान-बूझकर रिज़र्व बैंक के नाम से भेजे जाने वाले फर्जी प्रस्तावों के बारे में सावधान किया गया। एसएमएस अभियान में मिस्ड कॉल घटक भी है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता वापस कॉल करके पूर्व-रिकार्ड की गयी संवादात्मक आवाज पहचान प्रणाली (आईवीआरएस) के जरिए एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करवाता है। संदेशों को अच्छे ढंग से लिया गया है, जैसाकि *सचेत* वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों की संख्या में हुई बड़ी वृद्धि से अनुमान लगाया गया (बॉक्स X.2)।

X.9 अभियान के दूसरे खंड में अप्रैल 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीज़न के दौरान टेलीविज़न कमर्शियल का प्रसारण किया गया। टेलीविज़न कमर्शियल में बुनियादी बचत बैंक जमाखाता (बीएसबीडीए) खोलने के बारे में बताया गया, जो बैंक खाते में न्यूनतम शेषराशि रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है बशर्ते कि खाते के परिचालन पर कतिपय सीमाएं ग्राहकों को स्वीकार्य हों। रिज़र्व बैंक के छह क्रिकेटर कर्मचारियों को लेकर बनाया गया यह टेलीविज़न कमर्शियल, काफी देखा गया। मई-जून 2018 के दौरान बीसएसबीडीए खातों संबंधी यह संदेश अन्य मीडिया अर्थात प्रिंट, अन्य टेलीविज़न चैनलों, रेडियो, डिजिटल और होर्डिंग्स पर भी जारी किया गया। किसी व्यक्ति के बैंक खाते में धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन होने की स्थिति में ग्राहक की

बॉक्स X.2

एसएमएस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना

रिज़र्व बैंक का एसएमएस के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियान 10 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। फर्जी प्रस्तावों के संबंध में पहला एसएमएस 12 दिनों की अवधि में लगभग 550 मिलियन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को भेजा गया (सारणी 1)। एसएमएस अभियान में मिस्ड कॉल घटक भी है जहां उपभोक्ता एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के लघु कोड नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल कर सकता है। दूसरे एसएमएस में *सचेत* वेबसाइट का लिंक था जिससे कि धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध शिकायत दर्ज की जा सके और यह एसएमएस 22 नवंबर 2017 से शुरू करके 12 दिनों की अवधि में 590 मिलियन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को भेजा गया। धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने के बारे में एसएमएस भेजे जाने के बाद, रिज़र्व बैंक की *सचेत* वेबसाइट पर हिट्स की संख्या एक ही दिन (26 नवंबर 2017) में 4,31,508 तक पहुंच गई, जब कि अभियान से पहले नियमित दिन का मासिक औसत लगभग 1,000 हिट्स था (चार्ट 1)।

अगले तीन संदेश ₹10 के सिक्के के बारे में फैली अफवाहों को दूर करने के लिए भेजे गए। ये सभी एसएमएस हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त आठ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए गए।

चार्ट 1: सचेत वेबसाइट पर हिट्स का पैटर्न

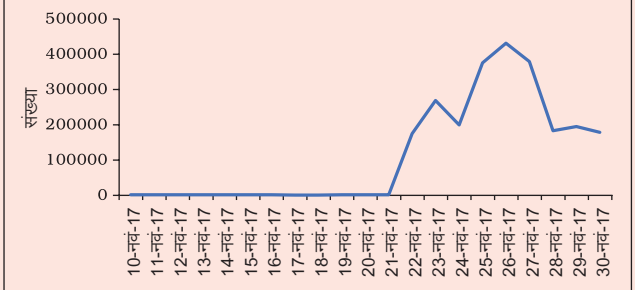

स्रोत: भारिबै।

नवंबर 2017 से जून 2018 तक एसएमएस प्रसारण

एसएमएस 1: प्रतिफल के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के शुल्क या प्रभार का भुगतान न करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर/आरबीआई/सरकार कभी भी ऐसे ई-मेल/एसएमएस/कॉल नहीं करती है। अधिक जानकारी के लिए, 8691960000 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 2: यदि आपको लॉटरी जीतने या रिज़र्व बैंक/सरकारी निकाय से सस्ती निधि पाने का प्रस्ताव मिलता है तो https://sachet.rbi.org.in/Complaints/Add पर शिकायत दर्ज करें।

एसएमएस 3: सिक्के अपने लंबे जीवनकाल के कारण विभिन्न डिज़ाइनों में उपलब्ध रहते हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 4: ₹10 के सिक्के रुपया प्रतीक के साथ और इसके बिना जारी किए गए हैं। दोनों वैध हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए, रिज़र्व बैंक को 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 5: ₹10 के सिक्के 10 और 15 दोनों रेखाओं के साथ जारी किए गए हैं। दोनों वैध हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए, रिज़र्व बैंक को 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 6: अपने खाते में न्यूनतम शेषराशि नहीं रखना चाहते हैं और महीने में चार से अधिक डेबिट लेनदेन नहीं करेंगे? बीएसबीडी खाता खोलें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 7: क्या आपके बैंक खाते में फर्जी लेनदेन हुए हैं? अपनी हानि को सीमित करें। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

सारणी 1: एसएमएस अभियान – पहुंच

(मिलियन में)

विवरण	एसएमएस 1 (10 नवंबर 2017 से 21 नवंबर 2017 तक)	एसएमएस 2 (22 नवंबर 2017 से 3 दिसंबर 2017 तक)	एसएमएस 3 (23 जनवरी 2018 से 24 जनवरी 2018 तक)	एसएमएस 4 (31 जनवरी 2018 से 13 फरवरी 2018 तक)	एसएमएस 5 (14 फरवरी 2018 से 27 फरवरी 2018 तक)	एसएमएस 6 (21 मई 2018 से 4 जून 2018 तक)	एसएमएस 7 (14 जून 2018 से 30 जून 2018 तक)	कुल
कुल भेजे गए संदेश	834.26	849.55	66.37	825.13	799.54	813.43	363.05	4551.33
कुल डिलीवर किए गए संदेश	552.74	592.44	54.43	558.56	544.63	542.82	281.80	3127.42
कुल प्राप्त की गई मिस्ड कॉल	8.53	1.74	0.76	4.62	3.18	5.04	3.70	27.57
आईवीआरएस के माध्यम से वापस की गई कुल सफल कॉल	6.43	1.39	0.57	3.29	2.24	3.81	2.70	20.43

स्रोत: भारिबै।

जिम्मेदारी पर संदेश वाला विज्ञापन फीफा वर्ल्ड कप मैचों के दौरान प्रसारित किया गया। विज्ञापन प्रिंट मीडिया में जारी किए गए और इन्हें अन्य मीडिया जैसे कि अन्य टेलीविज़न चैनलों, रेडियो, डिजिटल और होर्डिंग्स पर भी जारी किया जा रहा है। आरबीआई वेबसाइट पर *आरबीआई कहता है,* शीर्षक से उन लोगों के लिए एक अलग से लिंक बनाया गया है

जो विभिन्न मीडिया में प्रसारित किए जा रहे संदेशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.10 संचार विभाग महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधित मुद्दों पर क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना जारी रखेगा। आगामी वर्ष में, ऐसी मीडिया कार्यशालाएं कुछ अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित की जाएंगी जिन्हें वर्तमान वर्ष में कवर नहीं किया गया है।

X.11 इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की कतिपय विशेषताओं को पुनः बनाया जायेगा/संशोधित किया जायेगा तथा कुछ नई विशेषताएं जोड़ी जाएंगी जिससे कि वेबसाइट को नेविगेशन के लिए अधिक अच्छा और आसान बनाया जा सके।

X.12 आरबीआई संग्रहालय को 8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है, यह वही भवन है जहां से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपनी यात्रा शुरू की थी। संग्रहालय का पहला चरण 2018-19 में पूरा होने की आशा है जिसमें भू-तल और मध्यतल (मेजनीन) शामिल है। संग्रहालय में आगंतुकों को मुद्रा, स्वर्ण, भारतीय वित्तीय प्रणाली और इसकी उत्पत्ति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों की रोचक कहानी जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इसका वर्णन कलाकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के जरिए किया जाएगा।

X.13 वर्ष 2018-19 के दौरान सार्वजनिक जागरूकता अभियान के अधिक सक्रिय होने की अपेक्षा है, जिसमें लगभग सात संदेश पहले से ही जारी होने के लिए तैयार हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियान के भाग के रूप में एक अलग वेबलिंक की योजना बनाई गई है जिसमें आम जनता के लिए उपयोगी रिज़र्व बैंक विनियमों पर बुनियादी सूचना होगी।

कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई

X.14 फरवरी 2016 में स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) नोडल बिंदु है जिसे उन समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान तथा विश्लेषण का अधिदेश दिया गया है, जो रिज़र्व बैंक के भीतर विभिन्न वर्टिकलों के लिए प्रासंगिक हैं। व्यापक रूप से, प्रदेय (डिलिवरेबल्स) के अनुसार, इकाई के कार्य में अल्पकालिक नीति और परिचालन, प्रासंगिक अनुसंधान तथा मध्यावधि से दीर्घावधि अग्रणी अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.15 अल्पकालिक नीति संबंधी कार्य में मुख्य रूप से एमपीसी की बैठकों के लिए इनपुट उपलब्ध कराना शामिल है। एसआरयू अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों – भूसंपदा और वित्तीय, दोनों क्षेत्रों की निकटता से निगरानी करती है। इस संबंध में, इसने विभिन्न क्षेत्रों जैसे रियल क्षेत्र, वित्तीय बाजार, पूंजी निर्माण, राजकोषीय स्थिति और बाह्य क्षेत्र में अनेक अध्ययन शुरू किए हैं, जिन्हें नियमित रूप से एमपीसी की बैठकों में प्रस्तुत किया गया है।

X.16 मध्यम अवधि अनुसंधान में अनुसंधान आधारित नीति टिप्पणियां और संक्षिप्त जानकारी तैयार करना शामिल है। नियमित निगरानी और बाजार आसूचना संबंधी कार्य के अतिरिक्त, एसआरयू ने बहुत से अनुसंधान अध्ययन भी किए जिनमें केंद्रीय बज़ट, केंद्रीय और राज्य सरकारों की व्यय गुणवत्ता, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं, भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश के एक्सपोज़र को सीमित करना, फर्मों की कार्यशील पूंजी बाधाओं पर वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव, बाह्य भेद्यता, स्वर्ण में निवेश, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और बिक्री स्थल (पीओएस) लेनदेनों से संबंधित मुद्दों की जांच की गई। इन अनुसंधान अध्ययनों को शीर्ष प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया गया।

X.17 इसके अतिरिक्त, एसआरयू परिवारों पर विमुद्रीकरण के मिश्रित प्रभावों, कौशल विकास और रोजगार, राजकोषीय मितव्ययिता, गतिशील स्टॉकेस्टिक सामान्य संतुलन (डीएसजीई) ढांचे में बैंकों के पुनः पूंजीकरण, ट्रेड और नेटवर्क तथा मुद्रास्फीति गतिकी से संबंधित दीर्घावधिक अनुसंधान करती है। इनमें से कुछ अध्ययनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

संस्थाओं द्वारा आयोजित अनुसंधान कॉन्फ्रेंसो में प्रस्तुत किया गया है तथा अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित किया गया है। कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) वर्तमान में भारत के लिए आवश्कता आधारित (कस्टमाइज्ड) डीएसजीई मॉडल बनाने के लिए कैफरल और कुछ बाह्य अकादमिक विशेषज्ञों से सहयोग ले रही है।

X.18 भावी क्षमता निर्माण कार्य में, एसआरयू अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, अंतर-विभागीय अनुसंधान समूहों के लिए अन्य विभागों और कैफरल के साथ सहयोग करती है, इन परियोजनाओं में से कुछ को एमपीसी की बैठकों में भी पेश किया जाता है। इकाई नियमित रूप से कैफरल के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार भी आयोजित करती है जहां प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसरों और वित्त तथा अर्थशास्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसआरयू और कैफरल अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक (ब्राउन बैग) सेमिनार और वक्तव्य श्रृंखला भी आयोजित करते हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.19 अनुसंधान पर बढ़ते जोर के साथ, यह इकाई विशेषीकृत अर्थशास्त्र और वित्त के व्यावसायिकों के साथ अपने कार्य के क्षेत्र का विस्तार कर रही है तथा इसका लक्ष्य पीएचडी वाले सुप्रशिक्षित कर्मचारियों की इकाई का सृजन करना है। यह उन क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा और प्रोत्साहन देगी जो अब अर्थशास्त्र और वित्त में फ्रंटियर्स को परिभाषित कर रहे हैं जिसका व्यापक उद्देश्य मुख्य अकादमिक और नीति अनुसंधान के बीच अंतराल को पाटना है। यह इकाई व्यापक रूप से अनुसंधान और ज्ञान प्रसार पर जोर देते हुए मौजूदा संरचना को जारी रखेगी।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.20 वर्ष 2017-18 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वित्तीय कूटनीति को मजबूत किया। यह अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवादों में भी शामिल रहा है जिसमें केंद्रीय बैंक से केंद्रीय बैंक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक के अंतरराष्ट्रीय विभाग ने इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें पांच वर्षों में एक बार होने वाला वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) का समन्वय और समापन शामिल है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

जी 20 और इसके कार्यदल

X.21 विभाग ने सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जी20 के विभिन्न कार्यदलों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), फ्रेमवर्क कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भागीदारी की। इसने जी20 के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों (एफएमसीबीजी) से पहले कार्ययोजना पर दृष्टिकोण तय करने के लिए इनपुट भी उपलब्ध कराए। इन बैठकों का समापन जर्मन प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जी20 हैमबर्ग कार्ययोजना (एचएपी) में हुआ, जिसमें सशक्त, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए सभी प्रकार के नीतिगत उपकरणों-मौद्रिक, राजकोषीय और संरचनागत का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की समग्र संवृद्धि कार्यनीति, जिसे सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के सहयोग से अंतिम रूप दिया गया, को अक्तूबर 2017 में जी20 के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मजबूत संधारणीय और संतुलित वृद्धि (एसएसबीजी) पर पहली प्रायोगिक रिपोर्ट में व्यापक रूप से मान्यता दी गई। जी20 प्रतिनिधियों और एफएमसीबीजी बैठकों में, रिज़र्व बैंक बासेल III के शेष तत्वों को पूरा किए जाने, वित्तीय क्षेत्र सुधारों के गैर-इरादतन परिणामों, साइबर सुरक्षा और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) जैसे मुद्दों को सामने लाया।

X.22 दूसरी उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि एचएपी को पूंजीगत गतिविधियों के उदारीकरण के ओईसीडी कोड के

अनिवार्य अनुपालन से बिल्कुल अलग रखा गया। आईएमएफ के 'संस्थागत दृष्टिकोण' में भी लाभदायक संदर्भ दिया गया जो ईएमई द्वारा पूंजी खाता प्रबंध में लचीलेपन की अनुमति देता है। 1 दिसंबर 2017 को अर्जेंटीना द्वारा जी20 की प्रेसिडेंसी ग्रहण करने के साथ ही, विभाग ने जी20 एजेंडा और इसकी कार्य प्रक्रियाओं को आकार देने में सरकार के साथ निकट सहयोग से कार्य जारी रखा। इसने अर्जेंटिना प्रेसिडेंसी द्वारा की गई सर्वेक्षण आधारित जी20 सुधार पहल में भी योगदान दिया। जी20 आईएफए वर्तमान में पूंजी प्रवाह, निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) की कर्ज़ संधारणीयता, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस) के तुलनपत्रों को इष्टतम बनाना, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) पर कार्य कर रहा है। भारत ने यद्यपि अपने हस्तक्षेपों के द्वारा आईएमएफ की 15वीं सामान्य कोटा समीक्षा (जीआरक्यू) को भी अपने एजेंडा में रखा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अन्य उभरते बाजारों के साथ ओईसीडी संहिताओं में अधिक लचीलेपन की बात कही है, जिनमें वर्तमान में ओईसीडी परामर्शदात्री कार्य दल (एटीएफसी) और आईएफए बैठकों में संशोधन किया जा रहा है। जी20 एफडब्ल्यूजी जिसका भारत सह-अध्यक्ष है, ने नई पहल के रूप में 'कार्य के भविष्य' पर ध्यान केंद्रित किया है तथा नई प्रौद्योगिकियों से अवसरों का लाभ प्राप्त करने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत विकल्पों का मेन्यू विकसित किया है। जी 20 आईडब्ल्यूजी आस्तिवर्ग के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसीत करने के लिए परियोजना औचित्य, मूल्यांकन, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, वहनीयता तथा प्रदेयता की बहुराष्ट्रीय सूचना उपलब्धता और आकलन द्वारा एक बहु-वर्षीय रोडमैप पर कार्य कर रहा है। वह इन्फ्रास्ट्रक्चर आस्तियों के लिए पूल बनाने हेतु वित्तीय संविदाओं और उत्पादों के अधिक मानकीकरण पर भी बल दे रहा है।

X.23 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के अंतर्गत संधारणीय वित्त अध्ययन समूह तथा दो उप-समूहों विनियमन और मानक निर्धारण निकाय, तथा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में भाग लिया।

15वीं सामान्य कोटा समीक्षा (जीआरक्यू) तथा वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन)

X.24 हाल की अवधि में आईएमएफ के 15वें जीआरक्यू के लिए कोटा फार्मूला समीक्षा पर पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। तथापि, भारत ने 15वें जीआरक्यू की प्रगति तथा सहमत समयसीमा के अंदर इसे पूर्ण करने, जिसमें 2019 की बसंत बैठकों तक तथा अधिकाधिक वर्ष 2019 की वार्षिक बैठकों तक नया कोटा फार्मूला शामिल है, पर आवाज उठाना जारी रखा। इसे अप्रैल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठक में गवर्नर के वक्तव्य में मजबूती से कहा गया। जीएफएसएन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार (एनपीए) पर हस्ताक्षर किए जो आईएमएफ के 40 सदस्यों से लगभग 316 बिलियन एसडीआर राशि (450 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के 2016 के उधार करारों के भाग के रूप में थे। यह व्यवस्था 2019-20 के अंत तक द्विपक्षीय रूप से उधार लिए गए संसाधनों तक आईएमएफ की पहुंच का प्रभावी रूप से विस्तार करती है।

आईएमएफ-विश्व बैंक का वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी)

X.25 भारत के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एफएसएपी दिसंबर 2016 में स्कोपिंग मिशन के साथ शुरू हुआ जिसमें मार्च 2017 और जून-जुलाई 2017 में दो मिशन दौरे शामिल थे। तत्पश्चात, विभाग ने प्रारूप और अंतिम रिपोर्टों के लिए प्राधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को समन्वित किया। एफएसएपी के अंतर्गत भारत के लिए रिपोर्ट का सकारात्मक स्वरूप वर्ष की मुख्य विशेषता रही (बॉक्स X.3)। मुख्य रिपोर्ट जिसमें मुख्य निष्कर्षों को सारांश में दिया गया है, को आईएमएफ द्वारा वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन (एफएसएसए) और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) के रूप में दिसंबर 2017 में जारी किया गया। दो व्यापक आकलन रिपोर्टें (डीएआर) जो (i) प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल मूल सिद्धांत (बीसीपी) और (ii) वित्तीय

बॉक्स X.3

भारतीय वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी), 2017

एफएसएपी भारत सहित 29 देशों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया है, इन देशों को दो पैरामीटरों अर्थात (i) वित्तीय क्षेत्र का आकार और (ii) शेष विश्व से वित्तीय क्षेत्र की परस्पर–संबद्धता के आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र रखने के लिए चिह्नित किया जाता है । वर्ष 2017 का एफएसएपी, जो भारत के लिए किया गया दूसरा ऐसा आकलन है, में पाया गया कि भारत ने एफएसएपी 2011 की लगभग सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है जिसमें भारतीय बैंक के समुद्रपारीय परिचालन और बड़ी एक्सपोज़र सीमाओं की निगरानी करना भी शामिल है। तथापि, संकट से निपटने के लिए समाधान उपायों और व्यवस्थाओं पर और कार्य किए जाने की जरूरत है।

वर्ष 2017 के एफएसएपी में परस्पर–संबद्धता पर जोर दिया गया, कवरेज़ का दायरा बढ़ाया गया और वित्तीय क्षेत्रों के बीच मूल्य फैलाव (कंटेजियन) की संभावना को देखा गया। बासल मुख्य सिद्धांतों बीसीपी का आकलन संशोधित बीसीपी के अनुसार किया गया, जिससे अनुपालन के लिए स्तर कई प्रकार से बढ़ गया। इसके बावजूद, 2017 के एफएसएपी में भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के उच्च अनुपालन की पुनः पुष्टि की गई जो भारत में सुदृढ़ और गतिशील वित्तीय प्रणाली को प्रमाणित करता है। बीसीपी के दो सिद्धांतों को छोड़कर भारत में बाकी सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से या काफी हद तक अनुपालित माना गया है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, संसाधन और पर्यवेक्षकों के लिए कानूनी संरक्षण तथा बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में काफी गैर-अनुपालन आंका गया। पहला मुख्य रूप से इस कारण था कि विनियामक के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में पर्यवेक्षी कार्रवाई करने का पूरा विवेकाधिकार नहीं है, दूसरा इस कारण से था कि रिज़र्व बैंक के पास पीएसबी बोर्ड को जवाबदेह ठहराने और कमजोर तथा अनर्जक वरिष्ठ प्रबंधन और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड सदस्यों को बदलने के लिए बहुत कम अधिकार हैं।

कमजोरियों का समाधान करने के लिए नीतियां

एफएसएसए रिपोर्ट ने बैंक तुलन-पत्रों को सुदृढ़ करने, प्रावधानीकरण कवरेज़ बढ़ाने, वर्तमान कमजोरियों का समाधान करने और अंततः बैंकिंग सृदृढ़ता में सुधार करने के लिए रिज़र्व बैंक के गहन प्रयासों को मान्यता दी जिसमें (i) बृहद ऋणों पर केंद्रीय सूचना निधान (रिपोजिटरी) की स्थापना करना, जो न केवल एनपीए को ट्रैक करने बल्कि आरंभिक तनाव और अशोध्य ऋणों की अपर्याप्त पहचान को ट्रैक करने में सहायता करता है, (ii) संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के अंतर्गत बड़े कंसोर्शियम खातों में समन्वय संबंधी समस्याओं का समाधान करने पर विशिष्ट बल के साथ अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा; और (iii) कमजोर बैंकों में आवश्यक सुधार करने के लिए कार्य के संबंध में संशोधित शीघ्र सुधारात्मक ढांचे का उपयोग करना शामिल है।

सरकार ने तेज सुधार करने और दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के लिए अनेक विधायी उपाय किए जिनमें अन्य के साथ-साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016; वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में संशोधन और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम शामिल हैं।

रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और पुनर्संरचना, समेकन, विनिवेश और निजीकरण तथा उनके अभिशासन तथा वित्तीय परिचालनों में सुधार करने की आवश्यकता की सिफारिश की गई। एफएसएपी के दबाव परीक्षण दर्शाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को व्यवस्थित किया जा सकता है जो समग्र रूप से बेसलाइन जीडीपी के 0.75 प्रतिशत और गंभीर प्रतिकूल परिदृश्य में 1.5 प्रतिशत के बीच हैं। रिज़र्व बैंक के स्वयं के दबाव परीक्षणों के निष्कर्ष एफएसएपी के अनुरूप हैं । प्राधिकारी न केवल पूंजीगत आवश्यकताओं का बारंबार आकलन कर रहे हैं बल्कि पुनर्पूंजीकरण की योजनाओं का स्पष्ट खाका बनाया है जो सुधारों के लिए प्रोत्साहन से संगत हैं। अगले दो वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकार द्वारा 24 अक्तूबर 2017 को घोषित की गई ₹2.11 ट्रिलियन (लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की पीएसबी पुनर्पूंजीकरण योजना में ₹181.39 बिलियन का बजटीय प्रावधान, ₹1,350 बिलियन के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड तथा सरकारी इक्विटी को डायल्यूट करते हुए बाजार से बैंकों द्वारा पूंजी जुटाकर प्राप्त की गई शेषराशि शामिल है। इससे एफएसएपी कार्रवाई में आकलित पूंजी अंतराल का प्रभावशाली ढंग से समाधान हो जाएगा। पहले से ही, ₹800 बिलियन के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। तथापि पहले अभिशासन में सुधार करने के साथ साथ पुनर्पूंजीकरण को जोड़ना अत्यावश्यक है, विशेषतः शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अधीन बैंको के मामले में ।

वित्तीय क्षेत्र निगरानी ढांचा

प्रणाली व्यापक निगरानी और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों; बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र और प्रतिभूति बाजारों के पर्यवेक्षण और विनियमन; बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर निगरानी; संकट प्रबंधन ढांचा; और बाजार एकीकरण के मामले में वित्तीय क्षेत्र निगरानी ढांचे का आकलन किया गया।

जैसाकि एफएसएसए द्वारा देखा गया है, वर्ष 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना और 2013 में विनियामकीय प्राधिकरणों के बीच अंतर-एजेंसी समझौता ज्ञापन अपनाए जाने के बाद से वित्तीय स्थिरता मामलों पर अंतर-एजेंसी सहयोग और सूचना शेयरिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिज़र्व बैंक ने विशेषकर जोखिम और पूंजी आकलन के लिए व्यापक और पूर्वानुमान पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के माध्यम से 2013 के जोखिम आधारित आकलन की शुरुआत के साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने में काफी प्रगति की है। अप्रैल 2017 में, रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय अनुपालन की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से नया प्रवर्तन विभाग स्थापित किया और अधिक विवेकपूर्ण जोखिम-

(जारी...)

सहनीयता सीमाओं को शामिल करने के लिए अपनी शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई को संशोधित किया।

बैंकिंग क्षेत्र पर, एफएसएपी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) और विशेष ऋण श्रेणियों के संदर्भ में ऋण वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की। रिज़र्व बैंक आईएफआरएस-9 के साथ इस समीक्षा की प्रक्रिया में है, जिसमें प्रत्याशित हानि फ्रेमवर्क प्रावधानों के लिए आधार बनाता है और सभी प्रकार के ऋण प्रावधानीकरण द्वारा कवर किए जाते हैं । इस फ्रेमवर्क में पूर्व में हुई हानि संबंधी आंकड़ों और अनर्जक ऋण की वसूली को संग्रहित किया जाएगा। इसी समय, यह पहचानने की भी जरूरत है कि भारतीय संदर्भ में, विशेष श्रेणी के ऋण जिसमें मुख्य रूप से कृषि ऋण है, द्वारा विवेकपूर्ण सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये समावेशन मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा, समस्याग्रस्त आस्तियों के विवेकपूर्ण निपटान पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा 2016 में जारी दिशानिर्देश 90 दिवसीय मानदंड से पर्यवेक्षी विचलन का प्रावधान करते हैं और खुदरा और सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के एक्सपोजर के मामले में 180 दिन तक का मानदंड निर्धारित करते हैं यदि इसे स्थानीय स्थितियों के लिए उचित समझा जाए।

रिज़र्व बैंक को अपने पर्यवेक्षी अधिदेश का प्रयोग करने में पूरी तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए, एफएसएपी में सुझाव दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर रिज़र्व बैंक की शक्तियों को सुदृढ़ करने और इसकी कानूनी स्वतंत्रता के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए। शीर्ष पदाधिकारियों के कार्यकाल को समाप्त करने या बैंक के निर्णयों का अधिक्रमण करने के लिए कानूनी प्रावधान केवल असाधारण स्थितियों के लिए समर्थकारी प्रावधान हैं। रिज़र्व बैंक और समाधान निगम (आरसी) के बीच पर्यवेक्षी शक्तियों के दोहरेपन से बचने संबंधी सिफारिशों के संबंध में, मामले की छानबीन की जा रही है ताकि सक्षमता के साथ वित्तीय सेवा प्रदाता का समाधान करने के लिए आरसी के पर्याप्त रूप से तैयार होने की योग्यता पर प्रभाव डाले बिना आरसी की निरीक्षण/पर्यवेक्षी शक्तियों की पर्याप्तता को विनियामक की पर्यवेक्षी शक्तियों से उचित रूप से संतुलित किया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विनियामक के पास संबंधित संस्थाओं के लिए यथोचित पर्यवेक्षी शक्तियां है, जिससे वह शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ इसमें बदलाव करने में समर्थ बन सके।

एफएसएपी ने आपातकालीन चलनिधि सहायता (ईएलए), जमा बीमा और संकट के प्रति तत्परता संबंधी ढांचों में सुधार करने की मांग की है। जबकि ईएलए प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं है, रिज़र्व बैंक में ईएलए पर ध्यानपूर्वक तैयार की गई बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें रचनात्मक अस्पष्टता और लचीलेपन को शामिल किया गया है और इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक स्पष्टता नहीं चाहता है क्योंकि इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

एफएसएपी के अनुसार, प्रतिभूति और डेरिवेटिव समाशोधन और निपटान प्रणालियों के लिए रिज़र्व बैंक का विनियमन और निगरानी व्यापक रूप से प्रभावशाली है जिसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) सभी मुद्रा बाजार खंडों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सरकारी प्रतिभूतियों, रेपो और द्वितीयक बाजारों के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी (सीसीपी) के रूप में कार्य कर रहा है। जहां तक व्यापार कोष (ट्रेड रिपोजिटरी) का संबंध है, व्यापार कोष सेवाओं के लिए परिचालन विनियमों को बैंक का विनियामकीय अनुमोदन मिल गया है और सीसीआईएल ने सिद्धांत का अनुपालन करते हुए विनियमों को अधिसूचित कर दिया है।

जहां तक राष्ट्रीय आवास बैंक के स्वामित्व को सरकार को अंतरित करने तथा आवास वित्त कंपनियों के विनियमन को रिज़र्व बैंक को अंतरित करने पर एफएसएपी के विचार का संबंध है, यह पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

बाजार विकास

एफएसएसए रिपोर्ट में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को धीरे-धीरे कम करने की मांग की गई है जिससे कि बाजारों में मजबूती लायी जा सके और उधार देने को बढ़ावा दिया जा सके । जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने संबंधी समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि बासल III ढांचे के अंतर्गत चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर) की अपेक्षाओं के अनुरूप एसएलआर को कम किया जाए। तदनुसार, एसएलआर को निरंतर किंतु धीरे-धीरे कम किया गया है और अब यह जनवरी 2014 के 23 प्रतिशत से घटकर 19.5 प्रतिशत हो गई है । इसके अतिरिक्त, बैंकों के एनडीटीएल के 13 प्रतिशत के एसएलआर से अलग की गई कुल राशि (कार्व-आउट) बैंकों के पास उपलब्ध है । तथापि, प्राधिकारियों का विचार है कि कटौती के पूर्व-घोषित कैलेंडर से बाजार स्थितियों के प्रतिफल में रुकावट आएगी, जिस मुद्दे को वर्तमान में उठाया जा रहा है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार (पीएसएल) मानदंडों पर, एफएसएपी ने लागत-लाभकारी और अंतराल निदान की सिफारिश की है, जिसमें इसके दायरे को कम करने और कम सेवा प्राप्त खंडों के लिए इसके लक्ष्य सुनिश्चित करने की योजना शामिल है । यह दोहराया जाता है कि पीएसएल कार्यक्रम उन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनकी औपचारिक वित्त तक पहुंच आसान नहीं होती है, और इस प्रकार समावेशन, रोजगार और संवृद्धि को सुगम बनाता है।

संदर्भ:

1. आईएमएफ (2017), "इंडियाज 2017 फाइनैंशियल सिस्टम स्टैबिलिटी असेसमेंट", आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट नं. 17/390, दिसंबर।
2. आईएमएफ (2017), "डिटेल्ड असेसमेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) एंड ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर)", अक्तूबर।
3. आईएमएफ (2018), "डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ दि बासल कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन", आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट नं. 18/4, जनवरी।

बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीपीएमआई-आईओएससीओ[1] सिद्धांतों से संबंधित हैं, को भी क्रमशः आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा जनवरी 2018 में जारी किया गया। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और व्यापार कोष (टीआर) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का आकलन उपलब्ध कराती है।

काउंटर पर लेनदेन किए जाने वाले (ओटीसी) व्युत्पन्नियों के संबंध में सुधार

X.26 वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में सुधार किया जाना वैश्विक नीतिगत कार्य-सूची का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिसकी अगुवाई जी-20 ने की। इस कार्य में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) का व्यापक सहयोग रहा, जो सभी देशों में इस तरह के सुधार लागू किए जाने में हुई प्रगति का आकलन करता है। इस संबंध में, विभाग ने भारत में ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में सुधारों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव से संबंधित कार्य का समन्वय किया और अनुवर्ती कार्रवाई की।

वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दे

X.27 विभाग ने, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की बैठकों और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में चर्चा किए गए मुद्दों के संबंध में भारत का रवैया निर्धारित करने के बारे में निविष्टियां तैयार कीं, जिसमें समष्टिगत वित्तीय कमजोरियों, विशेष रूप से कमज़ोर घरेलू निवेश मांग, छाया बैंकिंग, साइबर जोखिमों और फिन-टेक से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को शामिल किया गया। विभाग ने, बैंक के कारोबारी मॉडलों और पर्यवेक्षकों की भूमिका के दृष्टिकोण से वित्तीय प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के कार्य दल में भी अपना योगदान किया। विभाग ने, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बहुत से सर्वेक्षणों में निविष्टियां उपलब्ध करायी, जिनके अंतर्गत क्रिप्टो आस्तियों और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव, साइबर सुरक्षा से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षीय प्रथाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में कदाचार को कम करने के बारे में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के जारी काम से संबंधित निविष्टियां शामिल रहीं।

X.28 धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (एएमएल/सीएफटी) से संबंधित विनियामकीय अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्य-दल (एफएटीएफ) और बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति के दिशानिदेशों के अनुपालन के क्रम में यह सूचित किया गया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश कॉरेस्पोंडिंग बैंकिंग के संबंध में एफएटीएफ की अनुशंसाओं के अनुरूप थे। इसके अतिरिक्त, कॉरेस्पांडेंट बैंकिंग संबंधों (सीबीआर) के विश्व भर में दबावपूर्ण रहने के संदर्भ में सूचित किया गया कि भारत में कॉरेस्पांडेंट बैंकिंग संबंध सेवाओं में कमी की ओर अग्रसर होने वाले जोखिम कम करने संबंधी मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं पाये गए।

X.29 रिजर्व बैंक ने, अन्य विनियामकों से समन्वय करते हुए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की वार्षिक शैडो बैंकिंग निगरानी गतिविधि में योगदान किया और बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट के लिए आंकड़े/ निविष्टियां उपलब्ध करायी। इस गतिविधि से पता चला कि 2016 में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता निगरानी क्षेत्र (एमयूएनएफआई) में 2015 की तुलना में थोड़ी तेज़ दर से वृद्धि हुई जो समग्र रूप से (अर्थात, 21 क्षेत्राधिकारों और यूरो क्षेत्र में समग्र रूप से) 160 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही। वित्तीय आस्तियों में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता निगरानी क्षेत्र (एमयूएनएफआई) का हिस्सा लगातार पांचवे वर्ष बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया।

X.30 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंकों (बीआईएस) के कार्यदलों के साथ अपना काम जारी रखा और यहां पर वैश्वीकरण, बिग डेटा, केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, फैडरल बैंक के तुलन पत्र प्रकाशन के तत्काल प्रभावों और सरकारी आस्तियों पर जोखिम भार जैसे विविध सामयिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किए गए। भारत में, बासेल III के विभिन्न मानकों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सहमत समय-सीमाओं के भीतर अपनाया गया।

X.31 रिजर्व बैंक, वैश्विक वित्तीय प्रणालियों पर समिति (सीजीएफएस) में भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस समिति ने

[1] भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर पर समिति (सीपीएमआई) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन बोर्ड (आईओएससीओ)।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन, ब्याज दरों के लंबी अवधि तक निम्न स्तर पर रहने के प्रभावों और अर्थक्षम पूंजी बाजार की स्थापना करने जैसे संरचनागत परिवर्तनों से जुड़े मुद्दों के संबंध में विभिन्न कार्य-दल गठित किये हैं। इन कार्यदलों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व है।

ब्रिक्स

X.32 जून 2017 में शंघाई में ब्रिक्स (एफएमसीबीजी) की बैठक तथा सितंबर 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) स्थापित किए जाने के बारे में सहमति बनी। जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने, बॉन्ड निवेश की बाधाओं को कम करने, निवेशकों के लिए कम लागत वाला बॉन्ड पोर्टफोलियो उपलब्ध कराने और ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं वाले बॉन्ड बाजार में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिक्स देशों में स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा देना है। विभाग, ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) की स्थापना की प्रारंभिक तैयारियों की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विभाग ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) को परिचालनात्मक तत्पर अवस्था में रखने और सीआरए के सदस्य देशों के बीच समष्टिगत आर्थिक सूचना विनिमय की व्यवस्था तैयार करने के संबंध में भी कार्य करता रहा है, जिसके अंतर्गत 60 आर्थिक और वित्तीय संकेतक शामिल हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स सीआरए के अधीन निगरानी व्यवस्था के हिस्से के रूप में विकसित किया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

X.33 सार्कफाइनेंस डेटाबेस से संबंधित चौथी संगोष्ठी और सार्कफाइनेंस डेटाबेस के संबंध में कार्य-दल की दूसरी बैठक का आयोजन 22-23 मार्च 2018 के दौरान रिज़र्व बैंक के जयपुर कार्यालय में किया गया, जिनका उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा संधारित सार्कफाइनेंस डेटाबेस में आंकड़ों का मानकीकरण करना और उनके कवरेज को बढ़ाना था। सार्कफाइनेंस सहयोग के रोडमैप के तहत पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंध, बैंकिंग विनियमन, वित्तीय बाजारों, वित्तीय समावेशन और पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में सदस्य केंद्रीय बैंकों को तकनीकी सहयोग और एक्सपोजर प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त, सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत कुछ केंद्रीय बैंकों को चलनिधि सहायता भी उपलब्ध कराई गई। वर्ष के दौरान सार्क देशों के लिए स्वैप व्यवस्था को विस्तार देने के ढांचे को भी कतिपय सुधारों के साथ अंतिम रूप दिया गया, ताकि पार्श्व में रखी गई चलनिधि सहायता की भावना के अनुरूप भुगतान संतुलन की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार-बार स्वैप से बचा जा सके। इस योजना को अब 16 मार्च 2019 तक दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।

X.34 संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच आपसी सरोकारों को निपटाने के लिए एक मंच है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण, उन चुनिंदा सरकारी बैंकों से परामर्श करते हुए, जिनकी अनुषंगियां नेपाल में विद्यमान हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सहमति से, नेपाल में रह रहे नेपाली पेंशनरों को पेंशन विप्रेषित करने का निर्णय एक बड़ी उपलब्धि रही।

अन्य गतिविधियां

X.35 विभिन्न वैश्विक मंचों पर चर्चाधीन विनियामकीय मुद्दों से निपटने के लिए अगस्त 2017 में छह अंतर्विभागीय कार्य-दलों (आईडीडब्लूजी) का गठन किया गया था, जिनका समन्वय इस विभाग ने किया। ये कार्य-दल निम्नलिखित मुद्दों पर काम कर रहे थे - (i) भारत में बासेल III का क्रियान्वयन और उसके शेष मूल तत्वों को अंतिम रूप दिया जाना; (ii) विशेष रूप से भारत के संदर्भ में फिनटेक और डिजिटल नवोन्मेष तथा वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव (आभासी मुद्राओं सहित); (iii) वित्तीय स्थिरता बोर्ड की प्रमुख विशेषताओं के स्थान पर, प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से, भारत में वित्तीय फर्मों के समाधान और जमा बीमा ढांचे (वित्तीय समाधान और जमा बीमा बिल में यथा परिकल्पित) का निर्धारण; (iv) संकट के बाद के वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों (वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा

अधिक लचीली वित्तीय प्रणाली के संबंध में यथा लागू) और भारत पर उनके अभिप्रेत और अनभिप्रेत प्रभाव; (v) वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक ओटीसी व्युत्पन्नी सुधारों के तत्व, भारत में डेटा रिपोर्टिंग और एक्सेसिंग में विधिक बाधाएं, मार्जिनिंग अपेक्षाएं आदि जैसे मापदंडों के अनुसार विनियामक अनुपालन और ओटीसी व्युत्पन्नी बाज़ार पर उनके व्यापक प्रभाव तथा (vi) भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समष्टिगत- विवेकपूर्ण ढांचे को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्ययोजना के संदर्भ में इन मुद्दों पर भारत द्वारा लिए जाने वाले दृष्टिकोणों (पोजीशन्स) पर इन समूहों ने कार्य किया है।

X.36 सार्क के अंतर्गत आने वाले विभिन्न केंद्रीय बैंकों के लिए अनेक क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों तथा स्टाफ की अदला-बदली करते हुए दौरा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अलावा, विभाग ने 2017-18 के दौरान विदेशी केंद्रीय बैंकों/विनियामकीय प्राधिकारियों/मंत्रालयों और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित एक्स्पोज़र अटैचमैंट सहित 41 एक्स्पोज़र दौरे आयोजित किये। विभाग के विचार-विमर्श से संबंधित मंच - मीमांसा के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र और जी 24 और जी 30 जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों को समर्थन देना भी जारी रखा।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.37 विभाग, सरकार के साथ समन्वय करते हुए अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत के रवैये का अनुसरण करते हुए उसे बरकरार रखेगा। विभाग, 15 वें जीआरक्यू को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की मांग जारी रखेगा, जिसमें उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जिनके पहले से ही कम प्रतिनिधित्व में और कमी आ रही है, के आरक्षित शेयरों को पुनर्निर्धारित किया जाना भी शामिल है। विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्टिकल IV, 2018 मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के लिए भी कार्य करेगा, जिसने 2018 में भारत का निरीक्षण किया था।

X.38 सार्कफाइनेंस डेटाबेस से संबंधित कार्य-दल के अगले सम्मेलन और बैठक की मेजबानी करते हुए सार्कफाइनेंस डेटाबेस की पहल की स्थिरता का और विस्तार करने का कार्य किया जाएगा। सार्कफाइनेंस रोडमैप के अंतर्गत कार्य-सूची को क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग, साझा अध्ययनों और डेटाबेस संबंधी पहलों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

X.39 विभाग, वर्ष के दौरान ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) की स्थापना किए जाने के लिए कार्य करेगा, जिसके 2019 तक क्रियाशील होने की संभावना है। विभाग, ब्रिक्स सीआरए की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए समष्टिगत आर्थिक सूचनाओं के आदान-प्रदान को और मजबूत करने के लिए भी कार्य करेगा। साथ ही, ब्रिक्स सीआरए व्यवस्था की परिचालनात्मक तैयारी के परीक्षण के लिए टेस्ट रन भी किया जाएगा। विभाग, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विचार किए जाने वाले मुद्दों पर विश्वसनीय, पूर्ण और अनुसंधान-परक नीतिगत संक्षिप्त वृत्तान्त उपलब्ध कराना, टिप्पणियां और हस्तक्षेप जारी रखेगा।

सरकारी एवं बैंक लेखा

X.40 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिजर्व बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा की नीतियां तैयार करने के साथ ही बैंकों के बैंकर एवं सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज की निगरानी करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.41 विभाग ने, जीएसटी फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की निगरानी की, जिसे वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक मजबूत किया गया। जीएसटी से संबंधित मामलों के कार्य हेतु मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को नोडल कार्यालय बनाया गया। रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकारों के एकीकरण के संबंध में, अब तक ई-प्राप्तियों के लिए 14 राज्य सरकारों को और ई-भुगतानों

के लिए 11 राज्य सरकारों को ई-कुबेर से एकीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग खोले जा चुके हैं, जो राज्य सरकारों की निर्दिष्ट जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के मामलों में रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकार की ट्रेजरी प्रणाली को एकीकृत करने में मदद करेंगे (बॉक्स X.4)। इसके साथ ही, अन्य विभिन्न राज्य सरकारें प्रौद्योगिकीय तत्परता के अलग-अलग स्तरों पर हैं। बैंक, आवश्यक तकनीकी और गैर-तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए बैठकों, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से अन्य शेष राज्य सरकारों का ई-कुबेर से एकीकरण किए जाने हेतु उनका अनुसरण कर रहा है। चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के प्रारंभ होने से प्रस्तुतकर्ता बैंक से भुगतानकर्ता बैंक तक चेक को भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि चेकों का भुगतान चेक की इमेज के आधार पर किया जाता है। हालांकि, बैंकों से अभी भी यह अपेक्षित है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले चेकों को प्रस्तुतकर्ता बैंक से भौतिक रूप में प्राप्त करें और उसे संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें। भौतिक चेकों के इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए विद्यमान प्रक्रिया को पी2एफ (पेपर बाद में) कहा जाता है। केंद्र सरकार के चेकों के मामले में, फरवरी 2016 से पी2एफ प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि चेक समाशोधन में पेपर बाद में (पी2एफ) व्यवस्था को बंद किए जाने के बारे में सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त नहीं हुई है, अतः विनिर्दिष्ट राज्यों से पी2एफ व्यवस्था को हटाए जाने के संबंध में तकनीकी समाधान ढूंढ़ने के प्रयास अभी जारी हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.42 वर्ष 2018-19 के दौरान, रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर से एकीकरण के लिए शेष राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि सरकारी कारोबार बेहतर ढंग से किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकारों के संबंध में चेक समाशोधन के लिए पी2एफ व्यवस्था चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने हेतु प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के माध्यम से कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग, सरकारी बैंकिंग की लागत से संबंधित समिति, 2018 (अध्यक्ष : श्री एस. गणेश कुमार) और सरकारी बैंकिंग की कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण (बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग) से संबंधित कार्य-दल, 2017 (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीकुमार) की अनुशंसाओं को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

बॉक्स X.4

सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभागों का खोला जाना

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के प्रधान बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के 18 कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग (जीबीडी) राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करते आए हैं। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों की जरूरतों के मुताबिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उन राज्यों की राजधानियों में स्थित रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में भी सरकारी बैंकिंग प्रभाग की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया, जहां पर ये प्रभाग नहीं थे। ये सरकारी बैंकिंग प्रभाग राज्यों की राजधानियों में होने के कारण नजदीकी के चलते राज्य सरकारों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये सरकारी बैंकिंग प्रभाग ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के संबंध में रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकार की ट्रेजरी प्रणाली को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान में 25 सरकारी बैंकिंग प्रभाग कार्यरत हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान परिचालन प्रारंभ करने वाले नए सरकारी बैंकिंग प्रभागों का ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र. सं.	नए सरकारी बैंकिंग प्रभाग	परिचालन प्रारंभ करने की तिथि	सरकारी बैंकिंग प्रभाग के क्षेत्राधिकार
1	रांची	1 अगस्त, 2017	झारखंड
2	शिमला	15 सितंबर, 2017	हिमाचल प्रदेश
3	देहरादून	3 अक्तूबर, 2017	उत्तराखंड
4	रायपुर	13 नवंबर, 2017	छत्तीसगढ़
5	पणजी	5 दिसंबर, 2017	गोवा
6	शिलांग	2 फरवरी, 2018	मेघालय
7	अगरतला	5 मार्च, 2018	त्रिपुरा

स्रोत: भारिबैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.43 देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का प्रबंधन बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) करता है, जिसमें सुरक्षा, तरलता और प्रतिफलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जून 2018 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में जून 2017 की तुलना में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की समरूप अवधि में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2017-18 के लिये कार्ययोजना: अनुपालन की स्थिति

X.44 वर्ष के दौरान, भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में विविधीकरण जारी रहा, इसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वर्ण पोर्टफोलियो भी सक्रिय कर दिया गया है। वर्ष के दौरान ऋण जोखिम नीति की विस्तृत समीक्षा की गई और ऋण जोखिम निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया गया। नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रणाली की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से अग्रसक्रिय और निरोधक उपाय किए गए। बैकअप प्रणाली का आवधिक परीक्षण किया गया और पाई गई कमियों को दूर किया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.45 2018-19 के लिए कार्ययोजना के अंतर्गत साइबर जोखिम से सुरक्षा के स्तर को और अधिक मजबूत बनाने, ब्याज दर फ्यूचर्स लेनदेन के लिए प्रणाली विकसित करने और प्रतिफलों में वृद्धि करने के लिए रिपो लेनदेन करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाना शामिल हैं।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.46 समष्टि आर्थिक नीति उन्मुख अनुसंधान के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में विख्यात आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को नीति संबंधी निर्णय लेने हेतु अनुसंधान इनपुट और प्रबंध सूचना प्रणाली सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग का योगदान बहु-आयामी रहा है। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत होने के अलावा, रिज़र्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों और प्रमुख अनुसंधान प्रकाशनों के साथ ही बैंक द्ववारा बाहरी विशेषज्ञों के साथ नीति-अभिमुख अनुसंधान कार्य के लिए भी जिम्मेदार है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: अनुपालन की स्थिति

X.47 वर्ष के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों, नामत: - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिनों, तथा भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के तीसरे संस्करण के प्रकाशन का कार्य किया। विभाग ने, आरबीआई सामयिक प्रकाशन, जो एक तकनीकी जर्नल है, का और 4 वर्किंग पेपर का भी प्रकाशन किया। विभाग ने, मौद्रिक समुच्चयों, भुगतान संतुलन, विदेशी कर्ज, समेकित सरकारी वित्त, हाउसहोल्डों की वित्तीय बचत तथा निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का समेकन और प्रसार किया।

X.48 2017-18 के दौरान, इकतीस अनुसंधान पत्रों/ लेखों का कार्य पूर्ण किया गया, जिनमें से 12 का प्रकाशन बैंक से बाहर देशी और विदेशी जर्नलों में किया गया। निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया गया : मौद्रिक नीति का संचरण और वैश्विक स्पिलओवर का असर, मौद्रिक नीति और आस्ति गुणवत्ता, मणिपुर में ऋण संभाव्यता, भारत के वित्तीय परिदृश्य में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), भारतीय कृषि में ऋण और दक्षता, तथा ग्रामीण मजदूरी के परिवर्तनशील निर्धारक गतिकी (डायनेमिक्स) और मुद्रास्फीति। वर्ष के दौरान, विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन के तहत निम्नलिखित दो अध्ययन कार्य पूर्ण किए गए : भारत में विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्च के कुछ समष्टिगत आर्थिक प्रभाव - गणना योग्य सामान्य साम्य मॉडल का प्रयोग करते हुए विश्लेषण; और भारत में मौद्रिक नीति संचरण में वित्तीय टकरावों की भूमिका।

X.49 वर्ष के दौरान, विभाग ने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 15वीं एल. के. झा स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत, 11 दिसंबर 2017 को प्रोफेसर विजय जोशी, इमेरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड ने व्याख्यान दिया। वर्ष के दौरान, प्रख्यात वक्ताओं ने व्याख्यान दिये, जिनमें निम्नलिखित

शामिल रहे - 'समष्टिगत वित्तीय आघात और दुविधा' विषय पर प्रोफेसर मॉरिस ऑब्स्ट्फील्ड, आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का भाषण; 'तरलता और मौद्रिक नीति के वैश्विक स्पिलओवर' के विषय पर डॉ. ह्यून सांग शिन, आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) का भाषण; 'भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार प्रवाह पर जीएसटी का प्रभाव' विषय पर जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, वॉशिंग्टन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और कारोबार के प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कृष्ण, श्री चुंग जू युंग के भाषण।

X.50 डीईपीआर अध्ययन वृत्त, जो विभाग का अपना मंच है, ने विविध थीमों पर आधारित 40 विभिन्न संगोष्ठियां और प्रस्तुतीकरण आयोजित किये। इसके अलावा, प्रस्तुतीकरण के लिए बाहरी विशेषज्ञों, नामत: - कॉक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एवं सीईपीआर में अनुसंधान फेलो प्रोफेसर सुमू अल्टुग को तथा विश्व बैंक के अर्थशास्त्री डॉ. रॉबर्ट बेयर को आमंत्रित किया गया। मई 2018 के दौरान विभाग के वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में किया गया। सम्मेलन में, संगठन के उभरते मुद्दों पर स्टाफ द्वारा विचार विमर्श के अलावा ' भारतीय राजकोषीय नियमों की राजनैतिक अर्थव्यवस्था' विषय पर डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का मुख्य भाषण और राजकोषीय जोखिम तथा मौद्रिक नीति विषय पर शैक्षणिक जगत और नीतिगत विशेषज्ञों (मौद्रिक नीति समिति के सदस्य डॉ. रविंद्र ढोलकिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता में प्रोफेसर डॉ. पार्थ रे, एनआईपीएफपी में प्रोफेसर डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती और सिटीग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. समिरन चक्रवर्ती) की पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया। सम्मेलन में, भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के तीसरे संस्करण का विमोचन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकडों की संपदा उपलब्ध कराई गई है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.51 आगे चलते हुए, विभाग द्वारा सामान्य सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों, तथा आंकड़ों के समेकन एवं प्रसार के अलावा, 2018-19 के दौरान फोकस के साथ विश्लेषण और अनुसंधान करने हेतु कुछ नीति-अभिमुख समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीतिगत मुद्दों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं - मौद्रिक नीति का संचरण, ऋण वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र के हालात, बैंक ऋण हानि प्रावधानों का बैंक ऋणों पर प्रभाव, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन, मौद्रिक समुच्चयों की परिवर्तनशील गतिकी, राजकोषीय नीति और वित्तीय बाजार, अंतर्निहित उतार-चढ़ाव सूचियों (VIX) और शेयर मूल्य सूचियों के बीच संबंध, वैश्विक तरलता तथा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) प्रवाह, निवेश पर कृषि ऋण के प्रभाव और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन, भारत में आर्थिक गतिविधियों की पूरक माप के रूप में नाइट- टाइम लुमिनोसिटी पर आधारित बिग-डेटा का अध्ययन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य स्फीति, भारत के समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य पर जनांकिकीय परिवर्तनों का प्रभाव तथा क्रिप्टोकरेंसी और केंद्रीय बैंक के लिए इसकी चुनौतियां। इसके अतिरिक्त, अन्य अनेक समष्टिगत आर्थिक सांख्यिकी जारी किए जाने की बारंबारता के साथ ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की प्रथाओं के अनुरूप हाउहोल्ड वित्तीय बचत एवं निधियों के प्रवाह के संबंध में तिमाही अनुमान जेनरेट करने के प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग अनेक संगोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक का इतिहास, खंड-V, जिसमें 1997 से 2008 तक की अवधि में विविध क्षेत्रों पर 15 अध्याय शामिल किए जाएंगे, का कार्य इतिहास कक्ष द्वारा दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाएगा।

सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन

X.52 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) दो अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। पहला लक्ष्य है - बैंकिंग, मौद्रिक, कॉर्पोरेट तथा बाहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली राष्ट्रीय स्तर की समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी का एकत्रीकरण, प्रक्रमण और प्रसार करना; और दूसरा लक्ष्य है - रिज़र्व बैंक के सभी कार्यों में प्रगतिशील सर्वेक्षणों, डेटा प्रबंधन एवं व्यावहारिक सांख्यिकीय अनुसंधान के माध्यम से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करना। इन

लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में, रिज़र्व बैंक के लिए डीएसआईएम केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के माध्यम से विवरणियों को केंद्रीकृत ढंग से प्रस्तुत किए जाने का प्रबंध करता है और सूचना प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रकार की सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.53 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने निम्नलिखित नियमित प्रकाशनों का कार्य पूर्ण किया - *भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक, 2016-17; भारत में बैंकिंग से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां: 2016-17; भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां: मार्च 2017; जमाराशियों की संरचना और स्वामित्व का पैटर्न: मार्च 2017; तिमाही बीएसआर-1: दिसंबर 2017 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण और मार्च 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और ऋण (बीएसआर-7) से संबंधित तिमाही सांख्यिकी।* भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्लूएसएस) और 'वर्तमान सांख्यिकी' के हिस्सों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटाबेस (डीबीआईई) से, निर्धारित आवधिकता के अनुसार, जेनेरेट किया गया। सर्वेक्षणों से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में, मौद्रिक नीति से संबंधित सर्वेक्षणों के आयोजन में अनेक सुधारों पर विचार किया गया। इनमें महत्वपूर्ण सुधार हैं – उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के कवरेज को सात और शहरों तक विस्तारित करना, महंगाई की संभावना पर हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के लिए प्रायिकता आधारित प्रतिदर्शों (आईईएसएच) को अंतिम रूप देना और आदेश बही, माल-सूची तथा क्षमता प्रयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) डेटा के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्षमता प्रयोग (सीयू) के अनुमान लगाने के तरीकों में संशोधन करना। अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आईईएसएच और सीसीएस के इकाई स्तरीय आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे। नियोक्ता सूचकांक का विकास करने के क्रम में भुगतान प्रणालियों के आंकड़ों के अतिरिक्त, नियोक्ताओं द्वारा आय कर प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आंकड़े और बैंकों के वेतन खातों के आंकड़ों की भी छानबीन की गई। वर्ष के दौरान, सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की जोखिम प्रोफाइलों का उपयुक्त ढंग से चयनित दबाव परिदृश्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया।

X.54 डेटा वेयरहाउस प्रणाली का पुनर्निर्माण करने संबंधी परियोजना प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर जी.शिवकुमार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई) गठित किया गया। इस समूह ने प्रस्तावित केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के संबंध में रूपरेखा उपलब्ध कराई है। उक्त के आधार पर, परियोजना की तैयारी करने के लिए तकनीकी परामर्श समूह (टीएजी) बनाया गया है, जिसके तीन उप-समूह बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं - (i) डेटा अभिशासन उप-समूह (डीजीएस); (ii) विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) उप-समूह; एवं (iii) डेटा विश्लेषण उप-समूह (डीएएस)। सीआईएमएस के अंतर्गत बिग डेटा प्लेटफॉर्म, मेटाडेटा रिपॉजिटरी सहित केंद्रीकृत विश्लेषण और अत्याधुनिक डेटा विजुअलाइजेशन टूल शामिल हैं।

X.55 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) पर होने वाले लेन-देन स्तरीय भुगतान प्रणाली के डेटा का उत्प्रेषण करने के लिए हडूप प्रणाली का अतिसंवेदनशीलता आकलन और भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) किया गया। बैंक की शाखाओं में सूचना एकत्र करने और उनका संधारण करने के लिए वेब-आधारित स्व-प्रमाणन प्रणाली विकसित की गई, जिसमें जिले की सीमा सहित उनकी भौगोलिक स्थिति को प्रमाणित करने की सुविधा उपलब्ध है। वेब-आधारित बैंकिंग आस्तियों और देयताओं (नोस्त्रो/वोस्त्रो) की रिपोर्टिंग प्रणाली को अगस्त 2017 के पहले पखवाड़े से चालू किया गया। एक्सबीआरएल प्रणाली के अंतर्गत डीपीएसएस, एफएमआरडी, एमपीडी, डीएनबीएस एवं एफईडी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित इकत्तीस विवरणियां विकसित की गई हैं और इनके शीघ्र ही शुरू होने की अपेक्षा है। एक्सबीआरएल प्रणाली के

वेब एवं एप्लिकेशन सर्वर का वर्च्वल एनवायर्नमेंट में माइग्रेशन जनवरी 2018 में पूर्ण किया गया। प्रतिलाभ अभिशासन समूह (आरजीजी) के मार्गदर्शन में मांगी गई तदर्थ/ गोपनीय पर्यवेक्षी सूचना को छोड़कर बैंक द्वारा निर्धारित सभी विवरणियों की अद्यतन सूची परिपत्रों और फोर्मेटों सहित, बैंक की वेबसाइट में फरवरी 2018 में रखी गई है।

X.56 विभिन्न बैंकिंग विवरिणियों में दिए जाने वाले प्रमुख 189 डेटा घटकों की परिभाषाओं को सुसंगत बनाया गया और डीबीआर को उपलब्ध कराया गया। डीबीआर ने इनको 30 मार्च 2017 और 4 जनवरी 2018 को दो चरणों में पब्लिक डोमेन में जारी किया। सुसंगत परिभाषाओं के कारण सभी विवरणियों में आंकड़ों की विसंगति के मामलों में कमी आने की आशा है।

X.57 विभाग ने, अक्तूबर 2017 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित, भारत के लिए सरकारी ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) से संबंधित उच्च स्तरीय कार्य-दल/टास्कफोर्स (एचटीएफ) को सचिवालय की सुविधा उपलब्ध कराई। एचटीएफ भारत में ऋण सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली की अवस्था को समझने, उसमें कमियों की पहचान करने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रियता से कार्य कर रहा है। एचटीएफ ने अपनी रिपोर्ट बैंक को 04 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में संरचना, अभिशासन और प्रौद्योगिकीय फ्रेमवर्क के संबंध में प्रस्तावित पीसीआर की रूपरेखा दी गई है । रिजर्व बैंक ने एचटीएफ की अनुशंसाओं पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि बैंक प्रमापीय (मॉड्यूलर) और चरणबद्ध रूप से पीसीआर की स्थापना की जाए। एचटीएफ की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर 6 जून 2018 को जनता को उपलब्ध करायी गयी । पीसीआर स्थापना करने के अगले चरण के रूप में डिजाइन तैयार करने और संचालन तथा क्रियान्वयन में सहायता हेतु अनुपालन कार्य-दल (आईटीएफ) की स्थापना की है।

X.58 विभाग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र की सांख्यिकी के संबंध में समिति (अध्यक्ष : प्रो. रविंद्र एच. ढोलकिया) को सचिवालय सुविधा उपलब्ध कराई। यह समिति निम्नलिखित के लिए गठित की गई है : निधि के प्रवाह (एफओएफ) का संग्रहण और प्रक्रमण करने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना; इस तरह के अनुमानों को राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना तलाशना; समय-सीमा सुधारने के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करना; और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आंकड़ों का प्रसार करने के उद्देश्य से प्रक्रमण प्रक्रिया और आवधिक लेखापरीक्षा प्रणाली में संशोधन करना। समिति ने मई 2018 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में जी20 डेटा अंतराल पहल में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत में निधि प्रवाह की समेकन प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में विस्तृत अनुशंसाएं की है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.59 आगे चलकर, पीसीआर की स्थापना और परिचालन आईटीएफ के मार्गदर्शन में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। सीआईएमएस से संबंधित कार्य को प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी बैंकिंग इकाइयों की, उनकी भौगोलिक स्थिति सहित, सूचना को अद्यतन रखने के लिए बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) को लागू किया जाएगा। भारत के मानचित्र में बैंकिंग इकाइयों को दर्शाने वाली भौगोलिक सूचना प्रणाली की प्रतिकृति को आंतरिक उपयोग हेतु विकसित किया जाएगा। आवास और वैयक्तिक ऋणों की तिमाही आधार पर गहन निगरानी करने के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले ऋण-प्रवाह के विभिन्न पहलुओं का नियमित रूप से गहन आंतरिक विश्लेषण किया जा सके। मजबूत डेटा के आधार पर अन्वेषणात्मक रोजगार सूचकांक का निर्माण किया जाएगा। 2018-19 के दौरान उत्तरदाताओं की पहचान छुपाते हुए अन्य गुणात्मक सर्वेक्षणों से इकाई स्तरीय डेटा के प्रसार का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप कंपनियों तथा व्यक्तियों की भुगतान संबंधी आदतों के बारे में सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। सार्कफाइनेंस डेटाबेस इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया जाएगा और स्वत: डेटा प्रस्तुतिकरण के लिए वेब-पोर्टल विकसित किया जाएगा। साथ ही, कॉर्पोरेट

मामले मंत्रालय से बैंक को प्राप्त होने वाले कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संबंधित डेटा फ़्लो को स्वचालित करने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि समय-पालन में सुधार किया जा सके, कवरेज को बेहतर बनाया जा सके और कॉर्पोरेट क्षेत्र विश्लेषण की गुणवत्ता सुधारी जा सके। 2018-19 के दौरान, प्रतिरूपण और पूर्वानुमान (मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग), बैंकिंग और जोखिम प्रतिरूपण, कॉर्पोरेट तथा बाहरी क्षेत्र के आकलन और बिग डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान और नीतिगत विश्लेषण का कार्य किया जाएगा। अप्रैल 2018 में घोषित विकास और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में प्रस्तावित आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डेटा साइंसेज लैब) के साथ जरूरत के अनुसार समन्वय किया जाएगा।

विधिक मुद्दे

X.60 विधि विभाग परामर्शी विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करार-नामों की भली प्रकार जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाले अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों तथा अदालती मामलों में सहायता और सलाह प्रदान करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण विधानों/विनियमों को लागू किया गया/उनमें संशोधन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में धारा 17(1-ए) को शामिल किया गया है, जो रिज़र्व बैंक को चलनिधि प्रबंध के लिए स्थायी जमाराशि सुविधा योजना के तहत बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज सहित प्रतिदेय जमाराशि के रूप में मुद्रा स्वीकार करने को प्राधिकृत करती है। मौद्रिक नीति प्रक्रिया के लिए क्रियाविधि और व्यवहार तथा एमपीसी के सदस्यों के लिए आचार संहिता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक प्रक्रिया नियमावली, 2016 तैयार की गई।

X.62 दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निदेश जारी करने तथा दबावपूर्ण आस्तियों के बारे में निदेश जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35एबी की उप-धारा 2 के तहत रिज़र्व बैंक को दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान के संबंध में बैंको को सूचित करने हेतु प्राधिकारियों या समितियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किए गए हैं।

X.63 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में "समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्तियों" के लिए संहिता के अंतर्गत प्रावधान बनाने हेतु संशोधन किया गया। समाधान प्रक्रिया में सहभागिता के लिए अपात्र व्यक्तियों या संस्थाओं में अनुन्मोचित दिवालिया, इरादतन चूककर्ता, वे जिनके खातों को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इन फर्मों से संबंधित सभी संस्थाएं शामिल होंगे। 2018 के संशोधन अध्यादेश का उद्देश्य, ऋणदाताओं की समिति में मतदान की सीमा को कम करके समाधान प्रक्रिया में सहभागिता के लिए अपात्रता की शर्तों को युक्ति-संगत बनाने के माध्यम से परिसमापन के स्थान पर समाधान को बढ़ावा देना था।

X.64 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनियां विनियमावली में संशोधन करते हुए ऋण सूचना कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2017 बनाई है, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत नियुक्त 'सूचना यूटिलिटी' तथा 'समाधान पेशेवरों' को 'विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता' के रूप में शामिल करने हेतु संशोधन किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल के अंतर्गत एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए 23 फरवरी 2018 से

'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना' 2018 की शुरुआत की है।

X.65 परक्राम्य लिखत (संशोधन) बिल, 2017 जो न्यायालय को कतिपय शर्तों के अधीन शिकायतकर्ता को अन्तरिम क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु चेक काटने वाले को निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है, संसद में रखा गया हैं।

X.66 दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को निदेश जारी किए जाने के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए जाने को उच्च न्यायालय, गुजरात ने बरकरार रखा है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.67 वर्ष 2018-19 में, विभाग रिज़र्व बैंक के अन्य विभिन्न विभागों को विधिक मामलों में सलाह देना और मांगे जाने पर विशिष्ट विधिक राय उपलब्ध कराना जारी रखेगा। विभाग, रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंध के प्रयास भी जारी रखेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के प्रभाव में विभिन्न अधिनियमों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों के अनुरूप तथा संगत प्रावधानों को स्पष्ट करने का काम किया जाएगा।